



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233573
CG-DL-E-17022022-233573

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 755]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 2022/माघ 28, 1943

No. 755]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 2022/MAGHA 28, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2022

का.आ. 783(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि लोहा और इस्पात उद्योग में लगी हुई सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 7 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंतिम बार उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2729(अ), तारीख 7 जुलाई, 2021 द्वारा तारीख 18 जुलाई, 2021 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में छह मास की एक और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोकहित उपयोगी प्रास्थिति के विस्तार की अपेक्षा की जाती है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोहा और इस्पात उद्योग में लगी हुई सेवाओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/07/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2022

S.O. 783(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the iron and steel industry, which is covered under item 7 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2729 (E), dated 7th July, 2021 for a period of six months with effect from the 18th July, 2021;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the iron and steel industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the date of publication of this notification.

[F. No. S-11017/ 07 /2011-IR (PL)]

AJAY TEWARI, Jt. Secy.